



सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 842 का नवीकरण/Renewal of Type Approval No. 842

**विषय/Sub: "कार्ट्रिज इजेक्टर रिलीज़ यूनिट सं. 204 एमके.2 (सेक्शन संदर्भ सं. 312के/47)" /
Cartridge Ejector Release Unit No.204 Mk.2 (Sec. Ref. No. 312K/47)**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स आर्ममेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टाब्लिशमेंट (ए.आर.डी.ई), डी आर डी ओ, आर्ममेंट पी.ओ, पाषाण, पुणे-411 021 द्वारा अभिकल्पित, विकसित एवं प्रारंभ में उत्पादित तथा वर्तमान में सीरीज़/रेगुलर निर्माण हेतु एम्यूनिशन फैक्टरी, किर्की, पुणे-411 001, द्वारा उत्पादित " कार्ट्रिज इजेक्टर रिलीज़ यूनिट सं. 204 एमके.2 (सेक्शन संदर्भ सं. 312के/47)" को पत्र सं. सेमिलेक/5070/टीए-842, दिनांक 23 सितंबर 1998, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 842 जारी किया था तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलेक/5070/टीए-842/2आर द्वारा दिनांक 18 जून 2008 को नवीकरण किया था जो कि 31 दिसंबर 2011 तक वैध था।

This is to state that the Cartridge Ejector Release Unit No. 204 Mk- 2, (Section Ref No.312K/47), designed, developed & initially manufactured by Armament Research & Development Establishment (A.R.D.E), DRDO, Armament P.O, Pashan, Pune—411 021 and presently series/regular production being manufactured by Ammunition Factory, Kirkee, Pune- 411 003, has been issued with Type Approval No. 842 vide ref. No. CEMILAC/5070/TA-842, dated: 23rd Sept 1998 and subsequently renewed on 18th June 2008 Vide Ref No. CEMILAC/5070/TA-842/2R, and was valid up to 31st Dec 2011.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 अक्टूबर 2013 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2018 तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए नष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए(एए), डी आर डी ओ, पाषाण,पुणे-411 021, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।


This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f 1st Oct 2013 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st Dec 2018 unless otherwise, suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (AA), DRDO, Pashan, Pune- 411 021, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause. All other terms & conditions stipulated in the Type Approval letter remain unaltered.

सं./No. : सेमिलेक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 842-3R

दिनांक/Date : 25 Oct 2013

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

25/10/13


(डॉ.के.तमिलमणि/ Dr. K.TAMILMANI)
महा निदेशक (एए)/ Director General (Aero)
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)